(1)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सी०बी०जी०) की स्थापना शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैविक कचरे को एक मूल्यवान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित करके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करता है, हानिकारक मीथेन उत्सर्जन को कम करता है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करता है, और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह एकीकृत दृष्टिकोण पर्यावरणीय दृष्टिकोणों/लक्ष्यों का समर्थन करता है। यह एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, और राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा नीतियों का एक प्रमुख घटक है। सी०बी०जी० प्लांट जैविक कचरे को प्रसंस्करण कर एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन के रूप में परिवर्तित करती है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार होता है। साथ ही नगर निकायों में गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन हो सकेगा।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(2)

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सात निश्चय–3 के निश्चय '1' **दोगुना रोजगार–दोगुना आय** के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष–2026–27 में कुल अनुमानित राशि रूपये 430.0833 करोड़ (रूपये चार सौ तीस करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति से वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजीटल क्षेत्र में नयी तकनीकों के आगमन के उपरान्त बिहार के युवाओं को नये तकनीकों के मांगों के अनुरूप रोजगारपरक बनाने, बिहार में उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ती मांगों के अनुरूप योग्य कार्यबल तैयार करने एवं वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्चस्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों में, जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है यथा–सोलर, ड्रोन तकनीक, नेटवर्किंग, होम नर्सिंग, मल्टी–स्किल्ड वर्कर, लैब तकनीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (EMT), ब्यूटी एवं वेलनेस, बेकरी, इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, टैली, विदेशी भाषा एवं उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे युवाओं को सीधे तौर पर कौशल एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

इस कार्यक्रम के लागू होने से बिहार के युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर प्राप्त होगें। इन केन्द्रों के संचालन से प्रतिवर्ष 2,57,440 युवा प्रशिक्षित होगें एवं स्वयं को उद्यमी बनाने में और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगे।

Kamal
6/8/26

सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करने एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गयी है।

सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

संचिका संख्या— 3/एम.—59/2026

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

श्री संजय कुमार (भा0प्र0से0), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2026 के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—7329 दिनांक—25.04.2025 की कंडिका—4(iii) के प्रावधान के आलोक में अगले 01 वर्ष (दिनांक—01.08.2026 से 31.07.2027 तक) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया जाता है।

07/08/26

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०–287 दिनांक 05.03.2013 के द्वारा संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारतनेट (पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा राईट ऑफ वे (RoW) प्रदान किये जाने एवं इससे संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, बीबीएनएल एवं राज्य सरकार) को हस्ताक्षरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त हेतु संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारतनेट के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राईट ऑफ वे (RoW) से संबंधित हस्ताक्षरित मौजूदा त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के पैरा संख्या 6.2 से 6.8 तक को संशोधित कर पैरा 6.2 से 6.10 के रूप में समाहित कर एडेन्डम हस्ताक्षरित किया जाएगा।

इसी क्रम में संयुक्त सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने अर्द्ध–सरकारी पत्र सं०–5–1/2025-UBB दिनांक 04.06.2025 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 99% नेटवर्क अपटाइम सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना के तहत अंतरराष्ट्रीय मानक की कैरियर–ग्रेड नेटवर्क संरचना, रिंग टोपोलॉजी तथा नवीनतम IP-MPLS प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, ग्राम / पंचायत स्तर पर विद्यालयों, पुलिस थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, डाकघरों, स्वास्थ्य केंद्रों, सहकारी संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) आदि शासकीय संस्थानों के साथ–साथ व्यक्तिगत आवासों तक 'फाइबर टू द होम (FTTH)' कनेक्शन उपलब्ध कराने का भी उद्देश्य है।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

7

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0, पटना के अधीन ग्रिड उपकेन्द्र कार्यालय एवं पूर्व निर्धारित यार्डस्टीक के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता (जी0टी0ओ0), सहायक कार्यपालक अभियंता (जी0टी0ओ0), कनीय विद्युत अभियंता (जी0टी0ओ0), प्रधान अग्रजन, अग्रजन, तकनीकी कोटि–I, II एवं III के कुल 221 (दो सौ इक्कीस) पदों के सृजन किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0, पटना के अधीन ग्रिड उपकेन्द्र कार्यालय एवं पूर्व निर्धारित यार्डस्टीक के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता (जी0टी0ओ0), सहायक कार्यपालक अभियंता (जी0टी0ओ0), कनीय विद्युत अभियंता (जी0टी0ओ0), प्रधान अग्रजन, अग्रजन, तकनीकी कोटि–I, II एवं III के कुल 221 (दो सौ इक्कीस) पदों के सृजन के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

8

प्रेस नोट

प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/- (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/- (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल 1,000/- करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/- (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/- (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल 1,000/- करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

9

।। प्रेस नोट ।।

ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय–विक्रय/हस्तांतरण की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक–7320, दिनांक–29.07.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के फलस्वरूप अधिसूचित ग्रीनफील्ड सैटेलाईट शहरों में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भूमि के क्रय–विक्रय/हस्तांतरण पर लगी रोक हटा ली गयी है। इसके अतिरिक्त बिहार नगर विकास प्राधिकरण के पास विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात क्रय–विक्रय/हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने का अधिकार होगा। साथ ही, भूमि विकास तथा भवन निर्माण उक्त प्राधिकरण द्वारा विकास योजना एवं संबद्ध विकास नियंत्रण विनियमन (DCR) के अधीन नियंत्रित किया जाएगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

10

प्रेस नोट

उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक व्यापक, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं दीर्घकालिक रूप से वित्तीय दृष्टि से सतत् बनाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026–2031 का कार्यान्वयन प्रारूप (अनुलग्नक–'क'), योजना के सुदृढ़ीकरण एवं अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹950.00 (नौ सौ पचास) करोड़ मात्र व्यय का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से राज्य में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, उच्च शिक्षा तक पहुँच सुदृढ़ होगी तथा राज्य के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

10/8/26

राजीव रौशन
सचिव

(11)

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

<u>प्रेस नोट</u>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार में संचालित एकल (Stand-Alone) निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस निर्णय के फलस्वरूप NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक शिक्षा (B.Ed.) के साथ–साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा अन्य विषयों के स्नातक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे। नए शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन संबंधित विश्वविद्यालय, UGC, NCTE एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं आवश्यक स्वीकृतियों के अनुरूप किया जाएगा।

इस पहल से विद्यार्थियों को अपने जिले अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, उच्च शिक्षा तक पहुँच सुदृढ़ होगी तथा राज्य के सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

सचिव